रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 1999/चैत्र 5, 1921

No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 1999/CHAITRA 5, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1999

सा. का. नि. 224(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के उपखंड (ii) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची के अंत में "ट्राइफ्लूमुरॉन" पदार्थ से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"एन्टागोनिस्टिक फंजाई और बैक्टीरिया—

(क) बैसिलस सबटिलिस

(ख) ग्लाइओक्लेडियम स्पोशीज

(ग) स्यूडोमोनस फ्लूओरेसेन्स

(घ) ट्राइकोडर्मा स्पोशीज

एंटामोजेनस फंजाई —

(क) बोवेरिया बैसिएना

(ख) मेटारहाईजियम एनिसोपली

(ग) नोमुरेइया रिलेवी

(घ) वेरटीसिल्लियम लेसेनाई

ग्रेनुलोसिस वाइरसेस (जी वी)

न्यूक्लीय पोलीहाइड्रोसिस वाइरसेस (एन पी वी)"

[फा. सं. 19-1-93-पी पी-I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

नोट : कीटनाशी अधिनियम 1968 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना जारी की गई थी जिसकी संख्या इस प्रकार है :—

1. सा. का. नि. 9 (अ) दिनांक 9-1-75
2. सा. का. नि. 823 (अ) दिनांक 28-9-76
3. सा. का. नि. 200 (अ) दिनांक 29-3-78
4. सा. का. नि. 574 (अ) दिनांक 06-10-79
5. सा. का. नि. 32 (अ) दिनांक 12-2-80
6. सा. का. नि. 500 (अ) दिनांक 18-6-95
7. सा. का. नि. 839 (अ) दिनांक 14-11-95
8. सा. का. नि. 31 (अ) दिनांक 15-1-87
9. सा. का. नि. 730 (अ) दिनांक 30-10-95
10. सा. का. नि. 10 (अ) दिनांक 3-1-96
11. सा. का. नि. 538 (अ) दिनांक 21-11-96
12. सा. का. नि. 621 (अ) दिनांक 27-10-97

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1999

G. S. R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substances in the SCHEDULE to the said Act, namely :

In the SCHEDULE to the said Act, at the end, after the existing entries relating to the substance "TRIFLUMURON" the following substances shall be added, namely :—

"Antagonistic fungi and Bacteria—

(a) Bacillus subtilis
(b) Gliocladium Species
(c) Pseudomonas fluorescens
(d) Trichoderma Species

Entomogenous fungi —

(a) Beauveria bassiana
(b) Metarrhizium anisopliae
(c) Nomuraea rileyi
(d) Verticillium lecanii

Grannulosis Viruses (GV)

Nuclear Polyhedrosis Viruses (NPV)"

[F. No. 19-1/93-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note : The following notifications were issued earlier to amend the Schedule to the Insecticides Act, 1968, vide number :—

1. G. S. R. 9 (E) dated 9-1-75
2. G. S. R. 823 (E) dated 28-9-76
3. G. S. R. 200 (E) dated 29-3-78
4. G. S. R. 574 (E) dated 06-10-79
5. G. S. R. 32 (E) dated 12-2-80
6. G. S. R. 500 (E) dated 18-6-95
7. G. S. R. 839 (E) dated 14-11-95
8. G. S. R. 31 (E) dated 15-1-87
9. G. S. R. 730 (E) dated 30-10-95
10. G. S. R. 10 (E) dated 3-1-96
11. G. S. R. 538 (E) dated 21-11-96
12. G. S. R. 621 (E) dated 27-10-97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.